न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याःजीसीएमएस नं. 2021/196

1. बंशीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ,
2. लक्ष्मण पुत्र श्री नाथू जाट,
3. शंकर पुत्र श्री हुक्ता जाट, जाति जाट निवासी ग्राम रामीपुरा वास नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, रामकिशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल निवासी नारायण निवास गोपालपुरा बाईपास, तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रीमती मोहनी धर्मपत्नी श्री रामरतन जाति छींपा, निवासी छींपों का मोहल्ला, ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. श्रीमती अनिता धर्मपत्नी श्री तीर्थनारायण, जाति छींपा, निवासी छींपो का मौहल्ला ग्राम सांगोनर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रीमती निर्मला धर्मपत्नी श्री श्रीराम, जाति छींपा निवासी छींपों का मौहल्ला, ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2005 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 बी के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रामजीपुरावास नेवटा तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 1.89 हैक्टयर, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.35 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टयर में से 1/4 हिस्से का तथा ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर स्थित खसरा नम्बर 2176 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2177 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.84 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.94 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2180 रकबा 0.96 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2181 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2182 रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2183 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2184 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2185 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2186 रकबा 0.74 हैक्टयर कुल किता 11 कुल रकबा 6.68 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 2176 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2177 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.84 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.94 हैक्टयर,

P.T.O.

खसरा नम्बर 2180 रकबा 0.96 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2181 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2184 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.80 हैक्टयर में से 1/12 हिस्से का तथा ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2187 रकबा 0.91 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2188 रकबा 0.64 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 हैक्टयर में से 1/4 हिस्से का मूल खातेदार को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कतई अवैध रूप से खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2005 पारित किया गया है जो उक्त सम्पूर्ण आराजीयात अविभाजित तथा संयुक्त कृषि जोत की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ हौर संयुक्त कृषि जोत के प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहकृषक का कब्जा काश्त होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी उनके द्वारा उपरोक्त विर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2005 पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नही है कि जिससे संपरिवर्तित की गई भूमि वादग्रस्त को अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को विक्रय करना अथवा विक्रय करने का करार करना स्पष्टतया सिद्ध होता हो किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपने हक व हिस्से एवं खातेदारी मे अंकित भूमि को जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 को हस्तांतरित किया ही नही तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा उक्त भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ कोई हस्तक्षेप नही करवाया जा सकता है परिणामस्वरूप अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.10.2005 को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अथवा पश्चात् भी अपीलार्थीगण को कोई सूचना नही दी तथा पत्रावली पर निर्णय पारित कर उसे दाखिल दफ्तर कर दिया। दिनांक 05.06.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भूमि वादग्रस्त पर आया और अपीलान्ट्स की भूमि वादग्रस्त पर से अपना कब्जा हटका कर भूमि को खाली करने का कहा जिस पर अपीलान्ट ने इसका कारण जानना चाहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से सूचना के अधिकार के तहत उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 17.06.221 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई जिस लेकर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 से सम्पर्क किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने आपसी सहमति से उक्त आदेश को निरस्त करवाने का आश्वासन दिया जिस पर अपीलान्ट विश्वास कर इन्तजार करते रहे किन्तु आज दिनांक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई तथा दिनांक 30.07.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 कुछ अजनबी

व्यक्तियों के साथ भूमि वादग्रस्त पर आये और जबरन नाप जोक करने लगे जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 एवं उनके साथ आये व्यक्ति अपीलान्ट से आमादा फसाद हो गये तथा अपीलान्ट को धमकी दी जिस तरह हमने एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है उसी प्रकार से जल्दी की कब्जा भी प्राप्त कर तुम्हे बेदखल कर देंगे जिस पर अपीलान्ट को वादकारण उत्पन्न हुआ और अपीलान्ट ने जानकारी की दिन से अन्दर मियाद यह अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है तथा विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2005 को अपील के पैरा संख्या 4 में वर्णित भूमि वादग्रस्त की हद तक निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी भूमि के साथ–साथ अपीलार्थीगण की भूमि की भी धारा 90 बी की कार्यवाही अपनी मनमर्जी से की गई है तथा अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विवादग्रस्त की धारा 90 बी की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र, समर्पणनामें प्रस्तुत किये गये है तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है, तहसीलदार द्वारा भूमि की मौका रिपोर्ट ली गई है एवं दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन करवाकर आपत्तियॉ मांगी गई है एवं प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2005 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 16 वर्ष पश्चात् अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई भी संतोषजनक व ठोस कारण प्रस्तुत नही किये गये है जिससे की उक्त असाधारण विलम्ब को क्षमा किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट असाधारण मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर